राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पॉम (NMEO-OP)

प्रसंग : पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पाम तेल के आयात में गिरावट देखी जा रही है।

एनएमईओ-ओपी क्या है?

- NMEO-OP भारत में ताड़ के तेल की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई एक नई केंद्र प्रायोजित योजना है।
- इस योजना का लक्ष्य 2025-26 तक तेल ताड़ की खेती के तहत क्षेत्र को 6.5 लाख हेक्टेयर तक विस्तारित करना और 2029-30 तक इसे बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर करना है।
- योजना में भाग लेने वाले तेल ताड़ के किसानों को मूल्य और व्यवहार्यता सूत्र के आधार पर वित्तीय सहायता और पारिश्रमिक प्राप्त होगा।
- व्यवहार्यता फॉर्मूला, न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र के समान, शुरू में क्रूड पाम ऑयल (CPO) मूल्य का 14.3% पारिश्रमिक तय करेगा।
- पारिश्रमिक प्रतिशत धीरे-धीरे बढ़कर 15.3% होने की उम्मीद है।
- योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक तेल ताड़ की खेती में निवेश और हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त समर्थन प्रदान करना है।
- यह योजना पुनर्रोपण के लिए विशेष सहायता प्रदान करके पुराने बागानों के कायाकल्प पर भी जोर देती है।

ताड़ का तेल और इसके उपयोग

- ताड़ का तेल एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला खाद्य वनस्पति तेल है जिसे ताड़ के तेल के फलों के लाल रंग के गूदे (मेसोकार्प) से निकाला जाता है।
- इसके बहुमुखी अनुप्रयोगों में खाना पकाने के तेल, सौंदर्य प्रसाधन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, कन्फेक्शनरी, स्प्रेड, साबुन, शैंपू, सफाई उत्पाद और जैव ईंधन शामिल हैं।
- बायोडीजल उत्पादन के लिए कच्चे पाम तेल के उपयोग को अक्सर "ग्रीन डीजल" कहा जाता है।
- इंडोनेशिया और मलेशिया ताड़ के तेल के प्रमुख उत्पादक हैं, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा है। 2021 में, इंडोनेशिया ने 45 मिलियन टन से अधिक का उत्पादन किया, जिससे यह सबसे बड़ा उत्पादक बन गया।
- ताड़ के तेल उद्योग को वनों की कटाई में योगदान देने वाली अस्थिर उत्पादन प्रथाओं और औपनिवेशिक युग से विरासत में मिली शोषणकारी श्रम प्रथाओं के आरोपों के बारे में चिंताओं के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा है।
- विवादों के बावजूद, ताड़ का तेल अपनी सामर्थ्य और सोयाबीन जैसी अन्य वनस्पति तेल फसलों की तुलना में प्रति हेक्टेयर उच्च तेल उपज के कारण लोकप्रिय बना हुआ है।

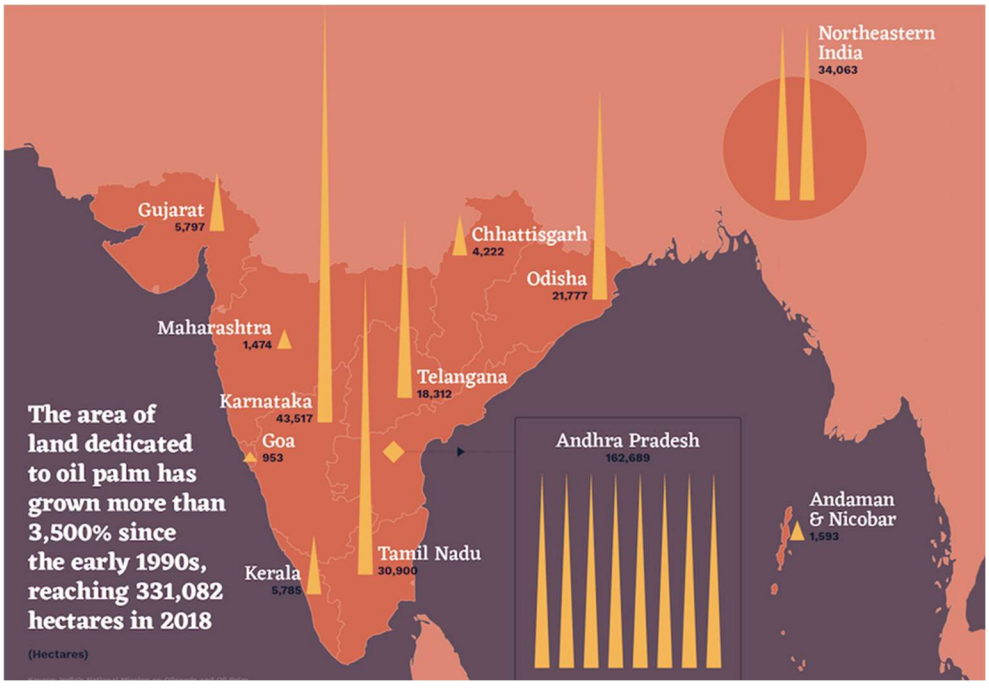

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन: तिलहन (NFSM-Oilseeds)

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन: तिलहन (NFSM-Oilseeds) भारत में तिलहन उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम है।
- मिशन नींव और प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण सहित विभिन्न हस्तक्षेपों पर केंद्रित है।
- किसानों को उन्नत तिलहनी फसलों की खेती के लिए अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रमाणित बीज और बीज मिनी किट वितरित किए जाते हैं।
- गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 2018-19 और 2019-20 के बीच 36 तिलहन हब स्थापित किए गए।
- प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्यों में वितरण के लिए उच्च उपज वाली किस्मों वाली तिलहन मिनी किट आवंटित की जाती हैं।
- सरकार ने तिलहन उत्पादन की ओर अपनी फसलों में विविधता लाने के लिए किसानों को मूल्य संकेत और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) व्यवस्था का उपयोग किया है।

केंद्रीय ओबीसी सूची

संदर्भ : आने वाले महीनों में छह राज्यों में लगभग 80 अतिरिक्त जातियों को (ओबीसी) की केंद्रीय सूची में जोड़े जाने की संभावना है।

- आने वाले महीनों में छह राज्यों की लगभग 80 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की केंद्रीय सूची में जोड़े जाने की संभावना है।
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) वर्तमान में इनमें से अधिकांश जातियों के लिए अनुमोदन की प्रक्रिया कर रहा है।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और जम्मू और कश्मीर जैसे राज्यों में केंद्रीय ओबीसी सूची में 16 समुदायों को जोड़ने की सूचना दी।
- महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्यों ने केंद्रीय ओबीसी सूची में विशिष्ट समुदायों को शामिल करने का अनुरोध किया है।
- एनसीबीसी अनुरोधों की जांच करेगा और अनुमोदन के लिए कैबिनेट को सिफारिशें भेजेगा।
- वर्तमान में, केंद्रीय ओबीसी सूची में 2,650 से अधिक विभिन्न समुदायों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें हालिया जोड़े शामिल हैं।

अन्य पिछड़ा वर्ग क्या है?

अन्य पिछड़ा वर्ग वे सामाजिक समूह हैं जिन्हें **सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित माना जाता है** , लेकिन उन्हें **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में वंचित नहीं माना जाता है।** भारत सरकार समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और सामाजिक और आर्थिक उत्थान के अवसर प्रदान करने के लिए सरकारी नौकरियों, उच्च शिक्षा और विधायिका में कुछ हद तक अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करती है।

ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला क्या है?

- के. कृष्णमूर्ति (डॉ.) बनाम भारत संघ (2010) के मामले में पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि राजनीतिक भागीदारी की बाधाएं शिक्षा और रोजगार की बाधाओं के समान नहीं हैं।
- मार्च 2021 में महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण की वैधता पर निर्णय लेते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एक तीन-स्तरीय परीक्षण निर्धारित किया - जिसे ट्रिपल टेस्ट भी कहा जाता है।
- यह कुछ ऐसा है जिसका राज्य सरकारों को आरक्षण प्रदान करने के लिए पालन करना होगा-
    - चरण 1: स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की जांच के लिए राज्यों को एक समर्पित आयोग का गठन करना चाहिए।
    - चरण 2: उन्हें आयोग द्वारा एकत्रित आंकड़ों के आधार पर समुदायों के लिए कोटा का आकार निर्धारित करना चाहिए।
    - चरण 3: ये आरक्षण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कोटा के साथ मिलकर, स्थानीय निकाय में कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं हो सकते।

राष्ट्रीय पिछड़ी जाति आयोग (NCBC)

पृष्ठभूमि:

- दो पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किए गए:
    - काका कालेलकर आयोग (1950)
        - प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में भी जाना जाता है।
    - बीपी मंडल आयोग (1970)।

- इंद्र साहनी मामला (1992):
  - सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि पिछड़े वर्गों को शामिल करने और बाहर करने के लिए एक स्थायी निकाय बनाया जाए।
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC):
  - सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के जवाब में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम (1993) के तहत बनाया गया।
- 123वां संविधान संशोधन विधेयक (2017):
  - पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए संसद में पेश किया गया।
- पिछड़ा वर्ग अधिनियम के लिए राष्ट्रीय आयोग का निरसन:
  - संसद ने 1993 के अधिनियम को निरस्त करने के लिए एक अलग विधेयक पारित किया, जिससे यह अप्रासंगिक हो गया।
- एनसीबीसी के लिए संवैधानिक स्थिति:
  - एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा देने वाले बिल को अगस्त 2018 में 338बी के तहत राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी

NCBC की संरचना:

- आयोग में पांच सदस्य होते हैं जिनमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य शामिल होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

NCBC के कार्य

- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षा उपायों की जांच और निगरानी करता है।
- यह पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर सलाह देता है और उनकी प्रगति का मूल्यांकन करता है।
- आयोग राष्ट्रपति को इन सुरक्षा उपायों के कामकाज पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
- रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाती है, और प्रतियां संबंधित राज्य सरकारों को भेजी जाती हैं।
- NCBC के पास राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण और उन्नति से संबंधित अतिरिक्त कार्य हैं।
- मुकदमे की कोशिश करते समय आयोग के पास सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं।

अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश

प्रसंग: मुखर्जी नगर कोचिंग संस्थान में हाल ही में लगी आग ने बिल्डिंग कोड में अग्नि सुरक्षा दिशानिर्देशों की धज्जियां उड़ा दी हैं।

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, 2019 में वाणिज्यिक भवनों में आग लगने से 330 लोगों की मौत हुई है।
- जब हम आवासीय या रिहायशी इमारतों में आग लगने की दुर्घटनाओं को शामिल करते हैं, तो मृत्यु दर बहुत अधिक 6,329 हो जाती है।

अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रावधान

- भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता में अग्नि और जीवन सुरक्षा प्रावधान शामिल हैं जिन्हें अनिवार्य माना जाता है।
  - यह विनाशकारी आग के खतरे को कम करने वाले डिजाइन और सामग्रियों के लिए विनिर्देश और दिशानिर्देश प्रदान करता है। उदाहरण के लिए,
  - यह बाहरी दीवारों, आंतरिक असर वाली दीवारों, फर्श, छत, आग की जांच के दरवाजे, आग के घेरे से बाहर निकलने आदि में उपयोग की जाने वाली अग्नि प्रतिरोध सामग्री को निर्दिष्ट करता है।
  - संहिता, उपयोग की प्रकृति द्वारा सभी मौजूदा और नई इमारतों को वर्गीकृत करती है। उदाहरण के लिए; आवासीय, शैक्षिक, संस्थागत, असेंबली (जैसे सिनेमा और ऑडिटोरियल), औद्योगिक, आदि।
  - यह विशिष्ट क्षेत्रों में उपयोग के प्रकार द्वारा भवनों के स्थान की सिफारिश करता है। यह सुनिश्चित करना है कि औद्योगिक और खतरनाक संरचनाएं आवासीय, संस्थागत, कार्यालय और व्यावसायिक भवनों के साथ सह-अस्तित्व में न हों।
  - कोड आग लगने की स्थिति में अलर्ट करने और लड़ने के लिए भी इमारतों में प्रौद्योगिकियों को शामिल करने को निर्धारित करता है। उदाहरण हैं, स्वचालित आग का पता लगाना और अलार्म सिस्टम, स्वचालित स्प्रिंकलर और पानी के स्प्रे, फायरमैन की लिफ्ट, फायर बैरियर आदि।
  - यह व्यावहारिक कठिनाई के मामले में विभिन्न भवनों के लिए छूट प्रदान करता है। एक स्थानीय प्रमुख, अग्निशमन सेवाएं संहिता से छूट पर विचार कर सकती हैं।

- हर राज्य में अग्नि सुरक्षा नियमों के अस्तित्व के बावजूद, व्यवहार में संहिता के प्रावधानों की अनदेखी की जाती है।

➢ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सार्वजनिक भवनों में अग्नि सुरक्षा के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं निर्धारित की हैं।

➢ स्वास्थ्य मंत्रालय अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा के लिए तीसरे पक्ष की मान्यता को अनिवार्य करता है और अग्नि प्रतिक्रिया योजना की आवश्यकता होती है।

राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड

➢ भारत का राष्ट्रीय भवन कोड शुरू में 1970 में प्रकाशित हुआ था और 1983 में इसका पहला संशोधन किया गया था। इसके बाद, 1983 के संस्करण में तीन महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, 1987 में दो और 1997 में एक। कोड का दूसरा संशोधन 2005 में हुआ। , इसके बाद 2015 में दो संशोधन किए गए।

➢ भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता में संरचनाओं के निर्माण, रखरखाव और अग्नि सुरक्षा के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश शामिल हैं।

➢ भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित की जाती है और यह एक सिफारिशी दस्तावेज है।

➢ भारत के राष्ट्रीय भवन संहिता की सिफारिशों को अनिवार्य आवश्यकता बनाते हुए राज्यों को उनके स्थानीय भवन उपनियमों में राष्ट्रीय भवन संहिता की सिफारिशों को शामिल करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) दिवस

संदर्भ: हाल ही में, विदेश मंत्रालय (MEA) ने दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की भारत की अध्यक्षता में SCO दिवस मनाया।

एससीओ क्या है?

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) वर्ष 2001 में स्थापित एक अंतर-सरकारी संगठन है। इसमें आठ सदस्य देश शामिल हैं: चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान।

इसका उद्देश्य?

इसके प्राथमिक उद्देश्यों में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करना, व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना तथा सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना शामिल है।

एससीओ में सहयोग के प्रमुख क्षेत्र:

एससीओ के भीतर सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं:

- सुरक्षा सहयोग
- आर्थिक सहयोग
- सांस्कृतिक सहयोग और
- कानूनी सहयोग

एससीओ द्वारा क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता:

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) विभिन्न तंत्रों और पहलों के माध्यम से क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे:

- आतंकवाद विरोधी सहयोग
- संयुक्त एंटी-ड्रग ऑपरेशंस
- सीमा सुरक्षा सहयोग
- खुफिया जानकारी साझा करना और सूचना का आदान-प्रदान
- क्षेत्रीय स्थिरता वार्ता तथा
- सहयोगात्मक सुरक्षा उपाय

सुनहरा सियार

संदर्भ: हाल ही में, वन्यजीव एसओएस और महाराष्ट्र वन विभाग ने पुणे के जुन्नर रेंज में स्थित वाघले गांव में एक गहरे कुएं से एक सुनहरे सियार को बचाने के लिए सहयोग किया।

वाइल्डलाइफ एसओएस क्या है?

- वाइल्डलाइफ एसओएस भारत में वन्यजीव संरक्षण और पशु कल्याण के लिए समर्पित एक गैर-लाभकारी संगठन है।
- परिवर्णी शब्द "एसओएस" का अर्थ है "सेव आवर सोल्स", संकट में फंसे जानवरों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए संगठन के मिशन को दर्शाता है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1995 में वन्यजीवों की रक्षा करने और मनुष्यों और जानवरों के बीच सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने के साझा जुनून वाले व्यक्तियों के एक समूह द्वारा की गई थी।

भौतिक विशेषताएं गोल्डन सियार:

- गोल्डन सियार की विशेषताओं में लंबे, नुकीले कान, लंबे बाल, एक भुरभुरी और लंबी पूंछ और फर का रंग शामिल है जो भूरे रंग की नोक के साथ पीले से हल्के सोने में भिन्न होता है। वे प्रकृति में अवसरवादी सर्वाहारी हैं तथा पौधों और मांस दोनों का सेवन करते हैं। वे प्रादेशिक जानवर हैं जो समूहों में शिकार करते हैं, जिन्हें पैक्स के रूप में जाना जाता है।

वैज्ञानिक नाम : इसका वैज्ञानिक नाम कैनिस ऑरियस है।

वितरण:

- उनका व्यापक वितरण उत्तर और पूर्वी अफ्रीका से लेकर दक्षिण-पूर्वी यूरोप और दक्षिण एशिया तक, जिसमें बर्मा भी शामिल है।
- गोल्डन सियार घाटियों, नदियों, सहायक नदियों, नहरों, झीलों और समुद्र तटों में प्रचुर मात्रा में हैं, लेकिन तलहटी और निचले पहाड़ों में दुर्लभ हैं।
- वे हिमालय की तलहटी से लेकर पश्चिमी घाट तक पूरे भारत में फैले हुए हैं।

	संरक्षण की स्थिति: इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) द्वारा गोल्डन सियार को "कम से कम चिंता" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची II के तहत संरक्षित किया गया है।
यूवी (UV) प्रकाश में पिघलने वाला क्रिस्टल 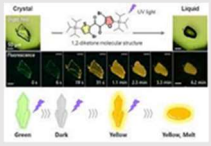	**संदर्भ:** हाल ही में, ओसाका विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ऐसी सामग्री की एक अभिनव खोज की है जो एक क्रिस्टल से तरल में संक्रमण करती है। **खोजी गई सामग्री का अनूठा गुण:** यूवी प्रकाश के संपर्क में आने पर खोजी गई सामग्री की अनूठी संपत्ति एक क्रिस्टल से तरल में संक्रमण की क्षमता है। फोटो-प्रेरित क्रिस्टल-से-तरल संक्रमण (पीसीएलटी) के रूप में जानी जाने वाली यह घटना अकेले प्रकाश से प्रेरित होती है। **भावी सामग्री के डिजाइन पर प्रभाव:** इस सामग्री की खोज विभिन्न अनुप्रयोगों के साथ भविष्य की सामग्रियों के डिजाइन की संभावनाएं खोलती है। क्रिस्टल पिघलने के पीछे के तंत्र को समझना और अकेले प्रकाश का उपयोग करके ऐसे संक्रमणों को प्रेरित करने की क्षमता का उपयोग फोटो-उत्तरदायी सामग्रियों के विकास में किया जा सकता है। **अनुप्रयोग:** इन सामग्रियों में सेंसर, ऑप्टिकल डिवाइस, डेटा स्टोरेज, ड्रग डिलीवरी सिस्टम और स्मार्ट सामग्री जैसे क्षेत्रों में अनुप्रयोग हो सकते हैं।
खुला बाजार बिक्री योजना 	**संदर्भ:** हाल ही में केंद्र सरकार ने ओएमएसएस के तहत राज्य सरकारों को चावल और गेहूं की बिक्री बंद कर दी है। **खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) क्या है?** ओएमएसएस एक ऐसी योजना है, जिसके माध्यम से भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) हमें खुले बाजार में गेहूं और चावल का अधिशेष स्टॉक बेचता है। **उद्देश्य:** ओएमएसएस का उद्देश्य खाद्यान्न, विशेष रूप से गेहूं की आपूर्ति में कमी के मौसम के दौरान वृद्धि करना और विशेष रूप से घाटे वाले क्षेत्रों में खुले बाजार की कीमतों को स्थिर करना है। **NCDEX पर ई-नीलामी:** यह योजना नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (NCDEX) प्लेटफॉर्म पर ई-नीलामी के माध्यम से आयोजित की जाती है। ओएमएसएस में तीन योजनाएं शामिल हैं: ➢ थोक उपभोक्ताओं/निजी व्यापारियों को ई-नीलामी के माध्यम से गेहूं की बिक्री ➢ समर्पित आन्दोलन द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से थोक उपभोक्ताओं/निजी व्यापारियों को गेहूँ की बिक्री ➢ ई-नीलामी के माध्यम से थोक उपभोक्ताओं/निजी व्यापारियों को कच्चे चावल ग्रेड 'ए' की बिक्री। **भारतीय खाद्य निगम:** ➢ भारतीय खाद्य निगम (FCI) वर्ष 1965 में खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। ➢ यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। ➢ एफसीआई खाद्यान्न की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उन्हें वितरित करके देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। ➢ भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में स्थित है।
कलामाता बंदरगाह 	**संदर्भ:** हाल ही में, प्रवासियों को ले जा रही एक मछली पकड़ने वाली नाव ग्रीक तट पर डूब गई, जिससे कम से कम 78 लोगों की मौत हो गई। लगभग 106 लोगों को बचाया गया है, जिनमें से 14 को कलामाता के एक अस्पताल में ले जाया गया है। **भौगोलिक अवस्थिति:** कालामाता पोर्ट ग्रीस की राजधानी एथेंस से लगभग 250 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। दो शहर अलग-अलग क्षेत्रों में स्थित हैं, एथेंस अटिका क्षेत्र में है और पेलोपोनिस क्षेत्र में कलामाता है। **महत्व:** कलामाता पोर्ट ग्रीस में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जो एक महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र के रूप में सेवा करता है और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। यह समुद्री व्यापार, मछली पकड़ने की गतिविधियों और पर्यटन की सुविधा प्रदान करता है, इस क्षेत्र को अन्य घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों से जोड़ता है। **शासन प्रबंध:** कालामाता पोर्ट का प्रशासन और प्रबंधन हेलेनिक मिनिस्ट्री ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट, विशेष रूप से हेलेनिक पोर्ट अथॉरिटी (OLTH) की जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है।